शेओ कुमार साहा,-याचिकाकर्ता

बनाम

हरियाणा राज्य और अन्य,-प्रतिवादी

सी.डब्ल्यू.पी. नहीं। 2006 का 8533

16 मार्च 2007

भारत का संविधान, 1950-अनुच्छेद। 226-पंजाब सिविल सेवाएँ नियम, वॉल्यूम. I, भाग-II, परिशिष्ट 20-अध्ययन अवकाश नियम-RI. 10-याचिकाकर्ता 2. के एम. फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अध्ययन अवकाश की अनुमति वर्ष-1963 नियमों के अनुसार वेतन और भत्ते दिए गए-प्रतिवादी याचिकाकर्ता के रूप में दैनिक भत्ते के रूप में अधिक भुगतान की गई राशि की वसूली का निर्देश दिया | केवल अध्ययन अवकाश भत्ते का हकदार है जो आधे वेतन के बराबर है- आरएल के तहत दैनिक भत्ते के हकदार आरएल. 1963 के नियमों के 10(1) में निर्धारित है कि पूर्ण दैनिक भत्ते का आधा हिस्सा जिसे सरकारी, कर्मचारी विनियमित करने वाले नियमों के तहत हकदार होंगे, उसका टी.ए. यदि वह अध्ययन-व्याख्या-याचिकाकर्ता के स्थान के दौरे पर थे। 10-द्वारा वसूली के आदेश विभाग मान्य नहीं -याचिका स्वीकार।

निर्णय, कि याचिकाकर्ता को पूर्ण दैनिक का आधा हिस्सा देने की अनुमति दी गई | वह भत्ता जिसका सरकारी कर्मचारी हकदार होता, यदि वह दौरे पर थे, तो उनके यात्रा भत्ते को विनियमित करने वाले नियमों के तहत अध्ययन के स्थान पर. याचिकाकर्ता का मामला नियम 10 के अंतर्गत आता है | अध्ययन अवकाश नियम, 1963 के नियम 10 का लाभ अध्ययन अवकाश नियम, 1963 का उत्तरदाता इनकार नहीं कर सकते। इसलिए, वसूली विभाग ने 1,16,800 रुपये की गणना अतिरिक्त राशि के रूप में की है | ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता को भुगतान तर्कसंगत नहीं है और इस प्रकार वही है ,पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता |

(पैरा 11 और 12)

(1) याचिकाकर्ता ने 2000 की सिविल रिट याचिका संख्या 4927 दायर की, जो इसकी डिविजन बेंच के समक्ष अंतिम सुनवाई के लिए आया | अदालत ने 18 अक्टूबर, 2000 को जब प्रतिवादियों के वकील एक बयान का सामना करना पड़ा कि विभाग को कोई आपत्ति नहीं होगी , जो याचिकाकर्ता ने अध्ययन अवकाश के लिए ऐसा कोई आवेदन दिया उन्हें कानून के अनुसार इसकी अनुमति दी जाएगी। नतीजतन, 13 तारीख को मार्च, 2001 में याचिकाकर्ता ने एम. फार्मेसी की पढ़ाई के लिए किमी को अनुमति प्रदान करना उत्तरदाताओं को एक आवेदन दिया। याचिकाकर्ता एम के लिए साक्षात्कार बोर्ड के समक्ष उपस्थित हुआ। फार्मेसी पाठ्यक्रम और उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। साथ ही उत्तरदाताओं की ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए याचिकाकर्ता उत्तरदाताओं को उसके द्वारा प्रवेश प्राप्त कर लेने के बारे में सूचित किय|।

(2)प्रतिवादी संख्या 2,—पत्र दिनांक 28 जून, 2001 द्वारा प्रतिवादी संख्या 3 को संबोधित करते हुए निर्देश दिया गया कि याचिकाकर्ता को अनुमति दी जाए | उच्चतर निष्पादन के लिए हरियाणा सरकार के नियमों के अनुसार अध्ययन अवकाश एम. फार्मेसी की पढ़ाई और निर्देश दिया कि पत्र उस सीमा तक हो 29 जून, 2001 तक याचिकाकर्ता को दिया गया और उसका अनुपालन किया गया , तुरंत इस कार्यालय को सूचित करें। संस्था ने राहत दे दी | इस दौरान हरियाणा सरकार के अध्ययन अवकाश नियमों के अनुसार भत्ते बिना शर्त उम्मीदवारों का चयन किया और पाठ्यक्रम की अवधि उन्हें वेतन दिया |

(3) 13 मार्च 2002 को वित्तीय आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, तकनीकी शिक्षा विभाग-प्रतिवादी संख्या 1, -पत्र क्रमांक 10/38/2000-आईटीई द्वारा, दिनांक 13 मार्च, 2002 ने प्रतिवादी संख्या 2 को सूचित किया कि 24 माह का अध्ययन अवकाश देने पर सीएसआर वॉल्यूम के प्रावधानों के अनुसार याचिकाकर्ता सरकार सहमत हुई। भाग-

II, परिशिष्ट-20. यह यह भी निर्देश दिया गया कि से बांड भरवाया जाए याचिकाकर्ता निर्देश अध्ययन नियमों के अनुसार क्रमांक 17 में परिशिष्ट-20. अध्ययन की आवश्यक अनुमति प्राप्त करने के बाद छुट्टी के बाद, विश्वविद्यालय और दो साल का उक्त पाठ्यक्रम पूरा कियायाचिकाकर्ता को दिल्ली में एम.फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रवेश मिल गया । याचिकाकर्ता नई दिल्ली में 24 महीने की अध्ययन अवधि दौरान हर महीने केवल आधा वेतन दिया जाता है। अध्ययन भत्ता नियम परिशिष्ट 10 के अंतर्गत अनुमन्य अध्ययन अवकाश रोक दिया गया ,क्योंकि प्रतिवादी से इसके लिए मंजूरी प्राप्त नहीं हुई थी | नंबर 2. बार-बार अनुरोध के बाद अध्ययन के लिए मंजूरी फरवरी, 19, 2004 में पाठ्यक्रम दो साल पूरे होने के छह माह बाद भत्ता मिलता था।

(4) यह 21 अक्टूबर, 2004 को प्रतिवादी संख्या 4 के साथ था स्थापना-I, दिनांक 19 फरवरी, 2004, पंजाब सीएसआर वॉल्यूम उसमें ज्ञापन संख्या ई-8/47/04/752 में निहित निर्देशों के अनुसार दुर्भावनापूर्ण इरादे से 21 अक्टूबर 2004 को एक पत्र जारी कर कहा गया । द्वितीय, परिशिष्ट 20, नियम 10, अध्ययन अवकाश भत्ता समतुल्य देय है, आधे वेतन वाली छुट्टी के लिए, लेकिन याचिकाकर्ता पर आरोप है कि उसे अतिरिक्त भुगतान किया गया है | राशि दैनिक भत्ता 1,16,800 रुपये है, जो अनुरूप नहीं है | कानून के साथ और याचिकाकर्ता को 27 तारीख तक इसे जमा करने का निर्देश दिया |

(5) 2 सितम्बर 2005 को प्रतिवादी संख्या 4 याचिकाकर्ता के वेतन से 5,000 प्रति माह प्रभावी पत्र दिनांक 2 सितंबर 2005 और रुपये की कटौती का आदेश दिया | इस प्रकार, प्रतिवादी ने एक राशि वसूल कर ली है, याचिकाकर्ता से 40,000 रु. इस कोर्ट ने नोटिस जारी करते हुए प्रस्ताव में दैनिक भत्ते की शेष वसूली पर रोक लगा दी गई थी |

(6) इस याचिका की सूचना उत्तरदाताओं को दी गई और उन्होंने अध्ययन अवकाश की अनुमति तथा अध्ययन भत्ता का भुगतान अनुदान देने के तथ्य को स्वीकार करते हुए अपना लिखित बयान दाखिल किया | हालाँकि, उत्तरदाताओं ने उल्लेख किया; दस्तावेज़ों के लिए अनुलग्नक R6 और आर7 और प्रस्तुत किया कि वित्त विभाग ने केवल अनुमति दी है| याचिकाकर्ता अध्ययन अवकाश भत्ता, जो आधे वेतन के बराबर है, उन्हें दैनिक भत्ता स्वीकृत नहीं था, जिसका भुगतान विभाग ने कर दिया है। इस प्रकार, उत्तरदाताओं का दावा है कि रु. याचिकाकर्ता को 1,16,800 रुपये अधिक का भुगतान किया गया है, इसलिए यह राशि है याचिकाकर्ता से वसूल किया जाना बाकी है, जो कि याचिकाकर्ता है भुगतान करने के लिए बाध्य है |

(7)हमने याचिकाकर्ता को सुना है और राज्य के लिए विद्वान वकील , जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हुआ है।

(8) याचिकाकर्ता ने अध्ययन के नियम 10 से संतुष्टि व्यक्त की है, हरियाणा सरकार के अवकाश नियम, 1963 निर्धारित करते हैं |ऐसे व्यक्ति को भुगतान किया जाने वाला भत्ता, जो अध्ययन अवकाश पर जाता है

निम्नलिखित तरीके से:

"नियम-10. अध्ययन भत्ते की दरें:—(1) अध्ययन की दरें भत्ता निम्नानुसार होगा लेकिन समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है :-

ऑस्ट्रेलिया	12$ (स्टर्लिंग)
	£1 (स्टर्लिंग)
यूरोप महाद्वीप	
भारत	जिसे पूरे दैनिक भत्ते का आधा हिस्सा दिया जाए सरकारी कर्मचारी उसकी यात्रा को विनियमित करने वाले नियमों के तहत हकदार भत्ता अध्ययन।
न्यूज़ीलैंड	12$ (स्टर्लिंग)

16$ (स्टर्लिंग)

30$ (स्टर्लिंग)

यूनाइटेड किंगडम

(2) सरकार को दिये जाने वाले अध्ययन भत्ते की दरें प्रत्येक मामले में अधिकार जो कर्मचारी दूसरे देशों में अध्ययन अवकाश लेता है, जैसे कि विशेष रूप से सक्षम द्वारा निर्धारित किया जा सकता है

(3) ऐसे मामलों में जहां कोई सरकारी कर्मचारी अध्ययन अवकाश पर है, अपने कर्तव्य स्थल के समान स्थान पर अवकाश वेतन, साथ ही अध्ययन भत्ता कुल मिलाकर वेतन से अधिक नहीं होगा यदि वह ड्यूटी पर होता तो अन्यथा उसे वेतन मिल जाता।"

(9) इस प्रकार इस नियम की आड़ में उत्तरदाताओं का दावा है, कित्त विभाग के पत्र अनुलग्नक पी4 के अनुसार हकदार याचिकाकर्ता को दैनिक भत्ता दिया गया है जो उसे नहीं दिया गया।

(10) यहां यह उल्लेख करना उचित है कि प्रतिवादी के पास रुपये की राशि पहले ही वसूल की जा चुकी है है। याचिकाकर्ता से 40,000 रु रिट याचिका दायर करने की तारीख और शेष राशि थी, इस न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी।

(11)नियम 10 का सामना होने पर विद्वान राज्य परामर्शदाता अध्ययन अवकाश नियम, 1963 के तहत परिकल्पित अध्ययन भत्ता दिया गया | इस बात पर विवाद नहीं है कि याचिकाकर्ता को पूरे दैनिक का आधा हिस्सा देने की अनुमति दी गई थी, अध्ययन के स्थान पर यदि वह दौरे पर थे, तो उनके यात्रा भत्ते को विनियमित करने वाले नियमों के तहत वह भत्ता जिसका सरकारी कर्मचारी हकदार होता|

(12) अध्ययन अवकाश नियम, 1963 के अनुसार वर्तमान याचिकाकर्ता का मामला नियम 10 के अंतर्गत आता । हमें लगता है कि उत्तरदाता ऐसा नहीं कर सकते, अध्ययन अवकाश नियम, 1963 के नियम 10 का लाभ देने से इनकार करें। रुपये की वसूली विभाग ने 1,16,800 की गणना अधिक की है, याचिकाकर्ता को भुगतान की गई राशि तर्कसंगत नहीं प्रतीत होती है और इस प्रकार वही पुनर्प्राप्त नहीं किया जा सकता |

(13)उपरोक्त चर्चा के आलोक में रिट याचिका है, अनुमति दी गई है और विवादित आदेश अनुलग्नक पी 6 और पी 7 को अलग रखा गया है। आदेश दिया गया है कि राशि रु. 40,000, जो पहले ही हो चुका है | वसूली करते हुए याचिकाकर्ता के वेतन से वसूली की जाएगी इस रिट याचिका के निर्णय की तारीख से तीन महीने की अवधि किश्तों में 1,16,800 रुपये याचिकाकर्ता को वापस कर दिए जाएंगे।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित दनणणय वाि ी के सीदमत उपयोग के दिए है तादक वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और दकसी अन्य उद्देश्य के दिए इसका उपयोग नहीीं दकया जा सकता है । सभी व ् यवहाररक और आदिकाररक उद्देश्यो के दिए दनणणय का अींग्रेजी सींस्करण प्रमादणक होगा और दनष्पाि न और कायाणन्वयन के उद्देश्य के दिए उपयुक्त रहेगा ।

रेणू बाला

प्रशिक्षु न्यायिक पदाधिकारी

कुरुक्षेत्र